

कार्यालय प्राचार्य, सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय
शिवाजी नगर, भोपाल - 462016

दूरभाष: 0755-2552560 (कार्या.) 0755-2469466 (नि.) फ़ैक्स: 0755-2552567 ई-मेल: hegsngpgcbho@mp.gov.in

क्रमांक/7749/स्था./सनाशकम/2024

भोपाल, दिनांक 15/10/24

विज्ञापन

महाविद्यालय में सत्र 2024-25 के लिए जनभागीदारी मद द्वारा विजिटिंग फैकल्टी की अध्यापन व्यवस्था हेतु सादे कागज में निम्ननुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्रमांक	विषय / पाठ्यक्रम का नाम	पद	पद संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक के साथ)
1.	गणित	विजिटिंग फैकल्टी	01	एम.एससी. गणित
2.	चित्रकला	विजिटिंग फैकल्टी	01	एम.ए. चित्रकला
3.	इतिहास	विजिटिंग फैकल्टी	01	एम.ए. इतिहास
4.	लोक प्रशासन	विजिटिंग फैकल्टी	01	एम.ए. लोक प्रशासन
5.	परामर्शदाता (महिला)		01	एम.ए. मनोविज्ञान (निर्देशन एवं परामर्श में पी. जी. डिप्लोमा)
6.	समाजशास्त्र	विजिटिंग फैकल्टी	01	एम.ए. समाजशास्त्र

- इच्छुक अभ्यर्थी समस्त सुसंगत प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित ए-4 साईज के कागज पर आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवसों में माहविद्यालय कार्यालय में समस्त प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित ए-4 साईज के कागज पर आवेदन महाविद्यालय कार्यालय में कार्यालयीन समय पर जमा करें। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- यदि अभ्यर्थी दो पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन देना चाहते हैं तो इस हेतु अलग-अलग आवेदन करना आवश्यक होगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार छूट रहेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन के साथ नवीनतम आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें।
- अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में फाटो सहित पूर्ण विवरण दें। संपर्क हेतु अपना डाक का पता तथा मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन के साथ नहीं लगाने पर अधिभार नहीं जोड़ा जाएगा।
- आवेदन सचिव, जनभागीदारी समिति, सरोजिनी नायडू शा. कन्या स्नातकोत्तर शिवाजी नगर भोपाल के नाम पर प्रेषित करें।
- चयन प्रक्रिया पूर्णतः मैरिट के आधार पर होगी। मैरिट अंको का निर्धारण स्नातकोत्तर /पी.एच.डी. / नेट/सेट एवं संबंधित विषय के अंको के आधार पर होगी। किसी भी विषय में कोई सह विषय नहीं है।
- महाविद्यालय के प्राचार्य एवं जनभागीदारी समिति को चयन प्रक्रिया निरस्त करने अथवा आंशिक संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं अंतिम निर्णय प्राचार्य का होगा।
- उपरोक्त सभी किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना अंतर्गत नहीं माने जाएंगे, और न ही लोकसेवक की विधि निहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक माने जाएंगे।
- प्रतिदिन अधिकतम 03 व्याख्यान ले सकेंगे। उन्हें जनभागीदारी समिति द्वारा प्रति व्याख्यान हेतु निर्धारित मानदेय प्रदान किया जावेगा। विजिटिंग फैकल्टी की संख्या बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तित की जा सकती है।
- विजिटिंग फैकल्टी एवं परामर्शदाता का मानदेय जनभागीदारी समिति द्वारा स्वीकृत देय होगा।
- विजिटिंग फैकल्टी को माहविद्यालय के शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्यों में सहभागिता करनी होगी एवं आश्यकता न होने पर उन्हें कार्य से बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया भी जा सकता है।

डॉ. सुरेन्द्र बिहारी गोस्वामी
प्राचार्य एवं सचिव

सरोजिनी नायडू कन्या शास. स्नातकोत्तर
विद्यालय, भोपाल